कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रं./69/न.पा.नि./जलप्रदाय/नलकूप खनन/पार्षद निधि/19–20/ बीरगांव,दिनांक 07/09/2019

मैन्यूअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

निकाय द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली से लोक निर्माण विभाग में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रचलित यू.एस.ओ.आर. (पार्ट–II) फॉर कॅन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्यूब वेल्स कार्य हेतु प्रभावशील दिनांक 07.02.2013 से प्रतिशत दर पर दो लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदाएं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित है। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 20.09.19 अपरान्ह 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि 20.09.19 सायं 5.00 बजे तक। निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 28.09.19 अपरान्ह 3.00 बजे तक। प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि 28.09.19 सायं 4.00 बजे।

क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाख रू.)
1	वार्ड कं. 23 बीरगांव में 125 एम.एम. व्यास का 02 नग ट्यूब वेल खनन कार्य (पार्षद निधि 2019–20)	1.93

निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

for आयुक्त

पृ. क्रं./70/न.पा.नि./जलप्रदाय/नलकूप खनन/पार्षद निधि/19–20/ बीरगांव,दिनांक 07/09/2019

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक, मान. विधायक, रायपुर ग्रामीण की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. निज सहायक, मान. महापौर, नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. मान. सभापति, नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. एम.आई.सी. सदस्य (जलप्रदाय शाखा) नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
05. श्री/श्रीमति——————————————————मान. पार्षद, वार्ड कं—— नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
06. संपादक, दैनिक समाचार पत्र...रायपुर की ओर समाचार पत्र के आगामी साधारण अंक में *एक दिवस न्यूनतम स्पेश* में प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरांत प्रकाशित समाचार पत्र की कम से कम दो प्रतियों के साथ देयक भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।
07. डॉटा सेन्टर,संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर, छ.ग. की ओर संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।
08. कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.) नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।

for आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)

निविदा की शर्तें

नलकूप खनन कार्य (पार्षद निधि 2019–20 वार्ड क्रं. 23)

निविदा सूचना क्रं. 69 / 07.09.2019

01. निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
03. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
04. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता :–
    (1) एकीकृत पंजीयन से पंजीकृत ठेकेदार का सक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र
    (2) यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर शीप डीड प्रमाण पत्र
    (3) पैन कार्ड
    (4) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र
    (5) वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का आई.टी.आर.।
    (6) राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी / बैंक गारंटी – रू. 0.25 लाख की राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी अथवा बैंक गारंटी। जो कि 12 माह से अधिक पुरानी न हो।
    (7) प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण–पत्र।
    स.क्रं. 01 से 07 तक इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगी। पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र होने की दशा में ही निविदा प्रपत्र प्रदाय की जावेगी।
    (8) विभाग / संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100 / – के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र की मूल प्रति।
05. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए कण्डिका क्रं. (04) के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
06. अमानत राशि :– अमानत राशि आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार की जावेगी।

क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाख रू.)	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.	अमानत राशि रू.	
1	वार्ड क्रं. 23 बीरगांव में 125 एम.एम. व्यास का 02 नग ट्यूब वेल खनन कार्य (पार्षद निधि 2019–20)	1.93	300	2000	FDR

07. लाख चापड़ा से सीलबंद निविदाएं ही स्वीकार की जावेगी।
08. लिफाफा 'अ' में अमानत राशि एवं लिफाफा 'ब' में निविदा प्रपत्र देना होगा।
09. पहले लिफाफा 'अ' में अर्थात् अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त अमानत राशि का एफ.डी.आर. अथवा डी.डी. संलग्न होने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।
10. उपयोग किया गया / आपूर्ति किया गया सामग्री आई.एस.आई. मार्क का होना अनिवार्य है। कार्य से संबंधित सामग्री निकाय में उपलब्ध सेम्पल से मिलान करने के उपरांत ही उपयोग करना होगा।
11. अति आवश्यक सेवा से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति / कार्य कार्यादेश तिथि को ही अथवा कार्य की प्रकृति अनुसार अधिकतम 03 दिवस में करनी होगी।
12. जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय करना चाहते हैं वे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को कण्डिका क्रं. (04) एवं (05) अनुसार दस्तावेज मय आवेदन निकाय में जमा कर सकते हैं। पात्र होने की दशा में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि को निकाय स्तर से निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।
13. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र "ए", "बी" व "सी" नगर पालिक निगम बीरगांव व विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है। जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय

की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें कण्डिका कं. (04) एवं (05) अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट प्रत्येक निविदा समूह के लिए पात्रता दस्तावेज व आयुक्त, नगर पालिक निगम,बीरगांव के नाम से निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी. को लिफाफा 'अ' एवं लिफाफा 'ब' के बाहर अर्थात् सबसे बाहरी लिफाफा के अंदर रखना होगा। निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी./एफ. डी.आर. व पात्रता हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत, पात्र होने की दशा में ही कण्डिका कं. (09) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

14. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।
15. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
16. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
17. सामग्री/कार्य की आवश्यकतानुसार ही कार्यादेश जारी किए जावेंगे।
18. दर समस्त करों सहित प्रस्तुत करना होगा।
19. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयक से निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार कटौती की जावेगी/निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूल की जावेगी।
20. यदि आयुक्त/इंजीनियर की राय में कोई भी किया गया काम विकृत/अपूर्ण या कुशल कारीगर के नहीं है या उसमें उपयोग किया गया सामान हीन है, तो लिखित में मांग किये जाने पर वह ठेकेदार उसमें तुरंत सुधार करेगा, उसे हटायेगा या उसकी पूरी तरह या अंशतः जैसी भी परिस्थिति हो पुनः निर्माण करेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा और उसके इस कार्यो को आयुक्त/इंजीनियर जैसी भी परिस्थिति हो द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरा करने से इंकार करने पर या हीन गुणों के समझे गये सामान को और ठेके शर्तों के विपरीत सामान को कार्य स्थल से निर्धारित समय में हटाने और निष्प्रयोजन वस्तुओं या सामग्री के स्थान पर शीघ्र ही योग्य वस्तु या सामान न जाने पर आयुक्त/इंजीनियर द्वारा लिखित मांग किये जाने से 10 दिन से अनाधिक समय में अनुपालन ना करने पर प्राक्कलन की राशि पर एक प्रतिशत की दर से क्षति का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
21. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–5/190/18/05 रायपुर दिनांक 19/01/2012 के अनुसार :– ''सफल निविदादाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी, जबकि निविदा के दरों में काफी कमी हो, जैसे निविदादाता को अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉजिट, एन.एस.सी. जो कि संबंधित निकाय के आयुक्त/आयुक्त के नाम से देय होगा, जमा कराना अनिवार्य होगा । उपरोक्त राशि को जमा न कराने की दिशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।''
22. अनुबंध अनुसार नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
23. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त,नगर पालिक निगम बीरगांव के पास सुरक्षित रहेगा।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त,नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय सर्व मान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)